FORM-1

(FOR LINEAR PROJECTS)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector, Chamoli

No---

Dated 24/02/2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt0 dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional Forest Dwellers (recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA; for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of the linear project, it is certified that 2.3975 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Rural Development Department, Uttarakhand for Construction of Nandprayag Ghat Motor Road k.m 15 to jakhni Motor Road under PMGSY in Chamoli** (purpose for diversion of forest land) in .... district falls within jurisdiction of Village **jakhni Village in Ghat Tehsils.**

It is further certified that:

a) The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire 2.3975 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meeting of the Forest Rights committee (s), Gram Sabha(s) sub-Division level committee(s) and District level Committee are enclosed.
b) The Diversion of forest land for facilities manage by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Gram Sabha's have given their consent to it;
c) The proposal does not involve recognised right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

जिला अधिकारी
चमोली

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned by CamScanner

प्रपत्र--23--2

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग- घाट Km 15 से जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

कार्यालय उपजिलाधिकारी,

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति-........................

उपखण्ड..................परिक्षेत्र के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मो.मा. कि.मी.15 से जाखणी मोटर मार्ग (0.00 है0) आरक्षित वन भूमि(2.3975 है0 सिविल एवं सोयम वन भूमि), (0.00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 2.3975 है0 वन भूमि) ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील- घाट) की दिनांक 20-2-2017 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री बुशरा अन्सारी उपजिलाधिकारी, एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:-

1	सुश्री बुशरा अन्सारी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2	श्री अमरेश कुमार	उपप्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3	श्री सुनील कैरी	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4	श्री शकुन्तला देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य	विकास खण्ड घाट चमोली

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि न0 घाट मो0मा0 कि0मी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग परियोजना हेतु 2.3975 है0 भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्य के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी , वन प्रभाग, बद्रीनाथ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

क्रमश.............2

Scanned by CamScanner

नन्दप्रयाग/घाट कि.मी. 15 से जाखणी .... मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 2.3975 है0 वन भूमि ग्राम्य विकास विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– चमोली (घाट)
जनपद– चमोली

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–(घाट)–चमोली
जनपद– चमोली

Scanned by CamScanner

परियोजना का नामः– प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मो० मा० के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

दिनांक 20-2-2019 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

जनपद–चमोली।

1	सुश्री बुशरा अंसारी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	ह0/ [signature]
2	श्री अमरेश कुमार	उपप्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	[signature]
3	श्री सुनील नेगी	सहा0 समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	[signature] 22/02/ सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकास खण्ड घाट चमोली
4	श्री शकुन्तला देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र पंचायत	सदस्य	[signature]

Scanned by CamScanner

मनेन्द्र सिंह कठैत (मनोज)
ग्राम प्रधान
जिला अध्यक्ष
प्रधान संगठन चमोली

(25)

निवास:
ग्राम – जाखणी,
पो.ओ.– सेरा, वि.ख. घाट जिला चमोली
मो.: 9997799970, 7500301920

पत्रांक..................

दिनांक 18.01.2019

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 18.01.2019 को ग्राम पंचायत जाखणी की आम बैठक आहूत की गयी, जिसमें सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट किमी 15 से जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण में ग्रामवासियों की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार हैं, एवं ग्रामवासियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

प्रधान ग्राम पंचायत जाखणी
ह०....
दिनांक....
विकास खण्ड घाट चमोली

Scanned by CamScanner

प्रारुप–30.3

परियोजना का नाम :– जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मो०मा० के कि०मी० I.S. से जारवणी मोटर मार्ग मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जारवणी
तहसील– घाट, जिला– चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जारवणी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 2.3175 हे0 सिविल सोयम भूमि...... हे0, वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 2.3175? हे0 वन भूमि का पी०एम०जी०एस०वाई० क०प्रयाग विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जारवणी द्वारा दिनांक [illegible].01.2016? को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जारवणी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पी०एम०जी०एस०वाई० क०प्रयाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

(मुहर: प्रधान ग्राम पंचायत जारवणी, विकास खण्ड घाट; ह0 दिनांक)

ह0/–

ग्राम सचिव

मुहर सहित

ह0

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित

Scanned by CamScanner

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः–जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग का निर्माण।

आज दिनांक 18.01.2019 को ग्राम सभा जाखणी क्नोल की आम बैठक आहूत की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट कि०मी० 15 से जाखणी मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियों किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत

ग्राम प्रधान / सरपंच

मुहर सहित

Scanned by CamScanner

दिनांक 18.01.2019 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पचायत का नाम :— जाख्णी

क्र0सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	अब्बलसिंह कठैत	[signature]
2.	देवेन्द्र सिंह नेगी	Dev Negi
3.	वीरेन्द्र सिंह फरस्वाण	[signature]
4.	उदयसिंह नेगी मल्ला कोण्डा जाखणी	उदयसिंह
5	आनन्दसिंह कठैत	आनन्दसिंह
6.	देवीलाल	देवीलाल
7	रामसिंह कठैत	[signature]
8	रघुवीरसिंह	
9-	गबरसिंह	गबरसिंह
10	धनसिंह	धनसिंह
11	जगदम्बाप्रसाद	[signature]
12.	अमरसिंह	अमरसिंह
13-	मु.कु. कल्याणसिंह नेगी	[signature]
14.	मयपालसिंह कठैत	[signature]
15	सूरजसिंह	सूरज सिंह
16-	इन्द्रसिंह	इन्द्रसिंह
17-	देवसिंह कठैत	देवसिंह
18	प्रतापसिंह नेगी	प्रतापसिंह
19-	प्रेमसिंह बिष्ट	प्रेमसिंह बिष्ट
20	दिलवरसिंह बिष्ट	दिलवरसिंह
21-	ग्रा.कु. तलासिंह ग्राम पंचायत जाखणी	[signature]
22.	देवसिंह नेगी	देवसिंह
23-	भगत सिंह खत्री	भगतसिंह
24.	भागवती प्रसाद पुरोहित	[signature]
25-	शिवप्रसाद पुरोहित पाण्डेय	शिवप्रसाद
26.	चक्खी लाल	चक्खीलाल
27-	वीर सिंह फरस्वाण	वीरसिंह
28.	लक्ष्मी प्रसाद पुरोहित	[signature]
29.	पुरुषोत्तम पुरोहित	P. Purohit
30-	अर्जुन सिंह कठैत	अर्जुनसिंह
31	संजय सिंह कठैत	संजयसिंह
32	प्रेम सिंह नेगी	[signature]
33	चन्द्रमोहन सिंह	[signature]
34	प्रकाशसिंह	[signature]

[Stamp: ग्राम पंचायत] [signature]

Scanned by CamScanner

ग्राम सभा - बिजार

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आज दिनांक 27.01.2019 को ग्राम पंचायत बिजार की आम बैठक आहूत की गयी। जिसमें सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट किमी 15 से जाखणी मोटर मार्ग के निर्माण में ग्राम वासियों की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी, वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार हैं, एवं ग्राम वासियों को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

ग्राम पंचायत बि...
(stamp and signature)

Scanned by CamScanner

प्रारुप-30.3

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नन्दप्रयाग घाट मोटर मार्ग के कि0मी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण ।

वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बिजार

तहसील घाट, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखंड में जनपद चमोली के अन्तर्गत जाखणी मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (0.000हे0 आरक्षित वन भूमि 2.3975 हे0 सिविल सोयम भूमि हे0, वन पंचायत भूमि 0.00हे0) अर्थात कुल 2.3975 वन भूमि का पी.एम.जी.एस.वाई विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बिजार द्वारा दिनांक 27.01.2019 की संपन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकारी अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बिजार के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि पी.एम.जी.एस.वाई कर्णप्रयाग प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/- श्रीमती विमला देवी

ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/- भानिका

ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित

Scanned by CamScanner

<u>आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>

<u>परियोजना का नाम:</u>–जनपद चमोली में पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट मो0मार्ग के कि0मी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग का निर्माण।

आज दिनांक 27.01.2019 को ग्राम सभा ~~कनोल~~ विजार की आम बैठक आहूत की गयी जिसमे सर्व सम्मति से यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नन्दप्रयाग घाट कि0मी0 15 से जाखणी मोटर मार्ग का निर्माण में ग्राम वासियो की जो भी भूमि अधिग्रहण की जायेगी वह भूमि ग्राम वासी स्वेच्छा से प्रदान करने को तैयार है और ग्राम वासियो किसी भी प्रकार की आपत्ति नही है।

ग्राम प्रधान / सरपंच

मुहर सहित

दिनांक 27/01/19......को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति।

ग्राम पचायत का नाम :– बिजार

क्र0सं0	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	राजेन्द्र राम लाल बिजार	[signature]
2-	सुरेन्द्र लाल	सुरेन्द्र लाल
3-	सुरेन्द्र लाल	[signature]
4-	पुष्कर लाल	शिशुपाल
5-	शिशुपाल	पुष्कर लाल
6-	जीतेन्द्र कुमार	[signature]
7-	पुष्पादेवी	[signature]
8-	श्याम लाल	[signature]
9-	प्रकाश चन्द्र	प्रकाश चन्द्र
10-	राजेन्द्र सिंह रावत	[signature]
11-	भरत सिंह रावत	[signature]
12	कुन्ती देवी	कुन्ती देवी
13-	सुरियासिंह राणा	[signature]
14-	प्रतापसिंह	[signature]
15-	दिनेश सिंह	[signature]
16-	पुनी देवी	पुन्नी देवी
17-	सरस्वती देवी	सरस्वती देवी
18-	गीता देवी	गीता देवी
19-	देवकी देवी	देवकी देवी
20-	नरेश	नरेश कुमार
21-	देवेन्द्र सिंह	[signature]
22-	राहुल सिंह	[signature]
23-	नन्दन सिंह	[signature]
24-	पुष्कर सिंह	[signature]

Scanned by CamScanner